



पटना नगर निगम

ब्लॉक-सी, द्वितीय तल, मौयलोक कम्पलेक्स, डाक बंगला रोड, पटना-800001



पत्र संख्या- 6353 /प0न0नि0

प्रेषक,

उप निदेशक,
शहरी योजना शाखा,
पटना नगर निगम, पटना।

सेवा में,

श्री अंजन कुमार सिन्हा,
पिता-श्री अनिल कुमार सिन्हा,
212, शिरनिल अपार्टमेन्ट,
कस्तूरबा पथ, नार्थ एस.के.पुरी, पटना, बिहार।

पटना, दिनांक- 03/07/2017 ई0।

विषय:- प्लान केस सं०-P/Mainpura/PRN/G+3/175/2017 की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

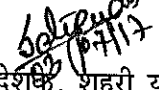
आपके आवेदन सं०-P/Mainpura/PRN/G+3/175/2017 दिनांक-08.04.2016 के संदर्भ में श्री अंजन कुमार सिन्हा, पिता-श्री अनिल कुमार सिन्हा, 212, शिरनिल अपार्टमेन्ट, कस्तूरबा पथ, नार्थ एस.के.पुरी, पटना के लिए भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के सर्वे प्लॉट सं०-1570 (अंश), खाता संख्या-639, तौजी संख्या-5506, थाना संख्या-2, थाना-एस.के.पुरी, मौजा-मैनपुरा, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 454.81 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 06.18 मीटर से 06.22 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों को 00.00 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।
- (छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

h

P.T.O.

- (ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित/ की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।
- (ञ) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- (ट) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन अनिवार्य होगा।

विश्वासभाषु,

उप निदेशक, शहरी योजना,
पटना नगर निगम, पटना।

“बेहतर हो पहचान अपना, विकसित राजधानी सुन्दर पटना”



पटना नगर निगम

मौर्यलोक कॉम्प्लेक्स
पत्रांक 5932 / प.न.नि.



प्रेषक,

सहायक निदेशक,
शहरी योजना,
पटना नगर निगम, पटना।

सेवा में,

1. श्री अंजन कुमार सिन्हा,
212, शिरनिल अपार्टमेंट,
कस्तुरबा पथ, नार्थ एस. के. पूरी,
पटना।
2. श्री नवनत्न रघुवंशी,
निबंधित वास्तुविद/अभियंता लाईसेंस सं०-AR/46/15/प०न०नि०.
601, सिगनेचर टॉवर,
कुर्जी पुल, पो०-सदाकत आश्रम,
पटना।
मो०-8863094547

पटना दिनांक 17-06 / 2017 ई०

विषय:- प्लान केस संख्या P/Mainpura/PRN/G+3/175/2017 के निबंधित वास्तुविद/अभियंता के द्वारा समय-समय पर निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक के अनुपालन में सूचित करना है कि भू-स्वामी/भवन निर्माणकर्ता के द्वारा Construction के दौरान कार्य प्रारम्भ करने की सूचना भवन उपविधि 2014 के Form-X (Form of Notice for Commencement of Work) Bye-Laws NO-8(6)F, 10 के अनुरूप समर्पित की जाय।

निबंधित वास्तुविद/ अभियंता ये सुनिश्चित करेंगे की Construction भवन उपविधि-2014 के अनुसार बन रही है एवं फॉर्म-V में दिए गए प्रावधानों को लागू करना सुनिश्चित करेंगे तथा भवन उपविधि-14 एवं महायोजना 2031 के उल्लंघन में आवेदक तथा निबंधित वास्तुविद/अभियंता किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे एवं भवन उपविधि 2014 के कंडिका 13 (2) के अनुसार सात-सात दिनों पर लिखित तौर पर प्रपत्र XI जमा करना संबंधित वास्तुविद/अभियंता द्वारा आवश्यक होगा साथ ही निर्माण के समय अधोहस्ताक्षरी तथा संबंधित प्रारूपक/कनीय अभियंता से समय-समय पर समन्वय स्थापित कर स्थल दिखाना आवेदक तथा वास्तुविद/अभियंता की जिम्मेवारी होगी। किसी भी प्रकार की भवन उपविधि में लापरवाही के लिए आवेदक एवं निबंधित वास्तुविद/अभियंता जिम्मेवार होंगे और विधि सम्मत प्रशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे।

इसे अति आवश्यक समझा जाय।

विश्वसभाजन

सहायक निदेशक

शहरी योजना

पटना नगर निगम, पटना।

“बेहतर हो पहचान अपना विकसित राजधानी सुन्दर पटना”